



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3132]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 10, 2017/कार्तिक 19, 1939

No. 3132]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 2017/KARTIKA 19, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2017

का.आ. 3573(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1974(अ), तारीख 3 जून, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 3 जून, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया;

और, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में अवस्थित है और लगभग 230.31 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, इस अभयारण्य में वनस्पति और जीवजन्तु की समृद्ध जैविकीय महत्व का प्रतिनिधित्व है; रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में रीसस मैकाक (मकाका मुलाटा); तेंदुआ (पेंथेरा पार्डस); बाघ (पेंथेरा टिगरिस); जंगल बिल्ली (फेलिस चौस); लघु भारतीय मुसंग (वीवरकुला इंडिका), सामान्य नेवला (हेर्पेस्टिस एडवार्डी); लघु भारतीय नेवला (हेर्पेस्टिस अरोपंकटैटस); भेडिया (कैनिस ल्यूपस); सियार (कैनिस ऑरियस); भारतीय लोमड़ी (वुल्फस बेंगलेंसिस); जंगली कुत्ता (कुओन अल्पाइमस); धारीदार लकड़बग्घा (हैना हैना); रीछ (मेलुरसस अरसिनस); भारतीय फ्लाईंग लोमड़ी (पेटरोपस गिगेन्टस); फुल्वस फ्रूट बैट (राउसेसेटस लेचेनौलटिया); तीन धारीदार पाल्म गिलहरी (फुनामबुलस पालमारम); भारतीय मोल चूहे (बॉडिकोटा

बंगालेंसिस); भारतीय साही (हिस्ट्रिक्स इंडिका); चिंकारा (गज़ेला गज़ेला) सांभर (सरवस यूनीक्लोरे); चित्तल (एक्सिस एक्सिस); जंगली सूअर (सुस स्क्रोफा) आदि, का निवास स्थान है;

और, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वनस्पतियां अकाकिया नीलोटिका, अकाकिया आरीकुलफॉर्मिस, अकाकिया कैटचु, अकाकिया ल्यूकोफ्लोएआ, एडिना कॉर्डिफोलिया, एग्ले मर्मेलोस, ऐलिनथस एक्सेलसा, एलेन्जियम सेल्वीफोलियम, एल्बिजिया लेबबेक, एल्बिजिया प्रोसेरा, एंगोगेसस लैटिफोलिया, एन्टीडेस्मा डायंड्रम, अजादिराछाट इंडिका, बौहिनिया वेरिएगेट, बौहिनिया टोमेंटोसा, एडटोडा वासिका, एगवे अमेरिकाना, एग्वेस सिसालैनिया, असपरगस रेसेमोसा, बालानाइट्स, बोगनविलिया स्प., एब्रोस प्रिकटायरेयस, अकाकिया पेन्टाटा, असपरगस रेसेमोसस, बौहिनिया वाहिल्ली, ब्यूटिया सुपर्ब, कैपारिस, सीसस रिपेंडा, कोक्लुस, हिर्सुटस, क्रिप्टोप्लीपिस बुचानानी, डेंड्रोकेलमस हेमिलटोक, बम्बोसा अरुंडिनेशिया, बाम्बुसा वुल्गारिस, बमबोसा बालकोआ, डेन्ड्रोकेलमस सिक्रस, डेंड्रोकेलेमस लांगीसपाथ, कैसथा फिलिफॉर्मिस, कैसिथा फिलिफॉर्मिस, डेंडोफोथोस फ्रैलकेट हैं ;

और, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 1.00 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके व्यौरे निम्नानुसार हैं, अर्थात्:—

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं:—

- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1.0 किलोमीटर तक होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 193.43 वर्ग किलोमीटर है।
- (2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन उपाबंध I के रूप में उपाबद्ध है।
- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र सीमा के विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ उपाबंध II के रूप में उपाबद्ध है।
- (4) रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-मण्डलीय स्थिति प्रणाली निर्देशांक उपाबंध IIIक और उपाबंध IIIख के रूप में उपाबद्ध है।
- (5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध IV में दी गई है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—

- (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:—

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन;
- (iii) शहरी विकास;
- (iv) पर्यटन;
- (v) नगरपालिका;
- (vi) राजस्व;
- (vii) कृषि;
- (viii) उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
- (ix) सिंचाई; और
- (x) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना तब तक अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों के सुधार के कारक तथा पारिस्थितिकी अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन समर्थक मानचित्रों के साथ करेगी और यह योजना मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरे देते हुए मानचित्रों द्वारा समर्थित होगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैरा 4 में सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिकी अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :—

(1) भू-उपयोग.— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलैक्स या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने और क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:

- (i) पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल कुटीर जैसे टेंट, काष्ठ गृह;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) वर्षा जल संचय; और
- (v) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक स्टोर और स्थानीय सुख-सुविधाएं सम्मिलित हैं:

परंतु यह और कि किसी जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों के अनुपालन के बिना, या तत्समय प्रवृत्त विधि जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक की जाएगी और उक्त त्रुटि के ठीक किए जाने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को ठीक करना इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भूमि-उपयोग में परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत:**— आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन.**— (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे।

(ख) पर्यटन आंचलिक महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :—

(i) रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। बशर्ते, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी शिक्षा और पारिस्थितिकी विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर विरासत संरक्षण योजना उनके संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी तथा आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होंगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण निवारण और नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** -- ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; और अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर ठोस अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन (ईएसएम) की पहचान की गई तकनीकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप दी जा सकेगी।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन (ईएसएम) की पहचान की गई तकनीकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप अनुमति दी जा सकेगी।

- (11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन:** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन:** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **ई-अपशिष्ट:**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) **यानीय परिवहन:** - परिवहन का यानीय संचलन आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय संचलन के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (15) **यानीय प्रदूषण:**— यानीय प्रदूषण लागू विधियों के अनुसार का रोकथाम और नियंत्रण के अनुपालन में किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन, उदाहरण के लिए सी एन जी आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।
- (16) **औद्योगिक ईकाइयां:** - (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किन्हीं नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।
- (17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:** - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:—
- (क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर ऐसे क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (ख) कटाव की एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके अधीन बने नियमों जिसके अंतर्गत तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां जिसके अंतर्गत वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) तथा उनमें किए गए संशोधन भी है द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन।	(क) नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर

		की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि, आदि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	(क) कोई नया उद्योग या पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योग के अनुसार अनुज्ञात किए जाएंगे, जब तक कि इस अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो ।
5.	मुख्य तापीय और जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
7.	दुकानदारों द्वारा प्लास्टिक के बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
9.	ईट भट्टों की स्थापना करना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
विनियमित क्रियाकलाप		
10.	होटलों और रिसोर्टों का वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक ही जो भी निकट हो कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे अन्यथा नहीं ।

		परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार यथालागू पर्यटन महायोजना के अनुरूप होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:</p> <p>परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी।</p> <p>(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;</p> <p>(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;</p> <p>(iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में किए गए वर्गीकरण के अनुसार परिभाषित गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योग;</p> <p>(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में जिस में ग्रह वास भी है सहायक हो; और</p> <p>(v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलापों : (ख) ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ग) एक किलोमीटर से परे यह आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
12.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्चाव का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल बहिर्चाव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे और उपचारित अपशिष्ट जल बहिर्चावों का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
13.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना जैसे गर्म वायु गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
14.	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

15.	ध्वनि प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्हीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे; (ग) आरक्षित वन और संरक्षित वन की दशा में निर्धारित कार्य योजना का अनुपालन किया किया जाएगा ।
17.	प्रवासी चारागाही ।	आंचलिक महायोजना और लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केवल विछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे और भूमिगत केवल विछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा ।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण के उपाय किए जाएंगे ।
20.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	(क) लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भीतर वन्यजीव के अबाध चलन को अनुज्ञात करने के लिए होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापनों को कांटेदार तार से उनकी संपत्तियों की बाड़ नहीं लगाई जाएगी और कोई भी बाड़ एक मीटर से अधिक की नहीं होगी । इस अनुबंध का अनुपालन न करने वाली विद्यमान बाड़ को आंचलिक महायोजना में उल्लिखित समय सीमाओं के अनुसार उपांतरित किया जाएगा ।
21.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	प्राकृतिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भूमि जल संचयन भी है, का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	विदेशी प्रजातियों के लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	जब तक आंचलिक महायोजना के अधीन अनुज्ञात न किया जाए तब तक 1 से 10 मीटर के पहाड़ी ढलानों पर और किसी नदी तट और प्राकृतिक नाले से 100 मीटर तक कोई संनिर्माण क्रियाकलाप नहीं किया जाएगा।
27.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी उद्योग के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे ।

28.	पारिस्थितिकी-पर्यटन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित और समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी ।
30.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	फर्मों, कंपनियों आदि द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
32.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण के उपाय किए जाएंगे ।
संवर्धित क्रियाकलाप		
33.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, डेयरी उद्योग, एक्वाकल्चर और मत्स्य पालन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	बागवानी और जड़ी बूटी का बागान।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	पारिस्थितिकी-अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
43.	निम्नीकृत भूमि/वन/आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
44.	पर्यावरणीय जागरूकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति.—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

- (i) जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट - अध्यक्ष
- (ii) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में कोई विशेषज्ञ - सदस्य ;
- (iii) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला (पर्यावरण जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) गैर सरकारी संगठन एक प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (iv) क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य ;

- (v) कार्यपालक अभियंता लोक निर्माण विभाग, चित्रकूट- सदस्य;
- (vi) कार्यपालक अभियंता सिंचाई विभाग, चित्रकूट- सदस्य ;
- (vii) जिला कृषि अधिकारी, चित्रकूट- सदस्य;
- (viii) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र चित्रकूट- सदस्य;
- (ix) महाप्रबंधक निदेशक, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, मिर्जापुर – सदस्य सचिव।

6. निर्देश निबंधन:—

(1) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुनः गठन के लिए होगा तक और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. **अतिरिक्त उपाय.**—इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. **सुप्रीम कोर्ट आदि के आदेश.**— इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/26/2016-ई एस जेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I


रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर का क्षेत्र पारिस्थितिकी संवेदी जोन अक्षांश 24°53'12" उ 25°02'30" उ और देशांतर 80°48' पू 81°14'15" पू के बीच अवस्थित है।

- उत्तर – अभयारण्य की उत्तरी सीमा आरक्षित वन क्षेत्र (आरक्षित वन) और कृषि भूमि द्वारा बनाई गई है।
- दक्षिण – उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की राज्य सीमा।
- पूर्व – उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की राज्य सीमा।
- पश्चिम – अभयारण्य की पश्चिमी सीमा आरक्षित वन क्षेत्र (आरक्षित वन) और कृषि भूमि द्वारा बनाई गई है।

उपाबंध II

अक्षांश और देशांतर और भूमि उपयोग पैटर्न के साथ रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध IIIक

क. रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
1	उ24° 58' 49.794"	पू80° 55' 17.278"
2	उ25° 0' 36.721"	पू80° 55' 31.382"
3	उ24° 59' 53.017"	पू80° 57' 2.731"
4	उ25° 0' 6.625"	पू80° 58' 55.449"
5	उ24° 59' 36.899"	पू81° 0' 36.041"
6	उ24° 59' 56.408"	पू81° 1' 40.900"
7	उ24° 58' 58.597"	पू81° 2' 37.154"
8	उ24° 58' 58.216"	पू81° 4' 44.892"
9	उ25° 0' 26.458"	पू81° 4' 49.508"
10	उ25° 0' 30.948"	पू81° 6' 18.758"
11	उ24° 59' 48.247"	पू81° 5' 52.991"
12	उ24° 59' 11.441"	पू81° 6' 38.383"
13	उ24° 59' 27.481"	पू81° 7' 33.460"
14	उ24° 59' 53.948"	पू81° 7' 5.769"
15	उ25° 0' 49.917"	पू81° 7' 8.981"
16	उ25° 1' 52.008"	पू81° 7' 28.774"
17	उ25° 2' 29.931"	पू81° 7' 38.139"
18	उ25° 1' 45.527"	पू81° 8' 28.234"
19	उ25° 0' 47.642"	पू81° 8' 58.987"
20	उ24° 59' 57.863"	पू81° 9' 54.712"
21	उ24° 58' 42.229"	पू81° 9' 19.396"
22	उ24° 58' 18.910"	पू81° 10' 42.695"
23	उ24° 59' 39.165"	पू81° 10' 59.178"
24	उ25° 0' 50.216"	पू81° 9' 59.456"
25	उ25° 0' 24.428"	पू81° 11' 3.870"
26	उ25° 0' 40.547"	पू81° 12' 9.213"
27	उ25° 0' 20.678"	पू81° 13' 14.778"
28	उ25° 1' 27.062"	पू81° 14' 35.500"
29	उ24° 59' 55.505"	पू81° 12' 49.163"
30	उ24° 58' 25.591"	पू81° 13' 15.298"

31	उ२४° ५७' २४.०९०"	पू८१° १२' ५२.५८३"
32	उ२४° ५६' ५.३०६"	पू८१° १३' १४.५४०"
33	उ२४° ५५' २९.७८६"	पू८१° ११' ३५.७८६"
34	उ२४° ५६' ३७.०५१"	पू८१° ११' ३९.६३६"
35	उ२४° ५७' २२.४७८"	पू८१° १०' २३.२१२"
36	उ२४° ५५' ३८.९८०"	पू८१° ९' ४७.९४१"
37	उ२४° ५४' ४८.९७४"	पू८१° ९' ३६.०२३"
38	उ२४° ५३' १८.६८०"	पू८१° ८' २३.७६२"
39	उ२४° ५४' २८.००८"	पू८१° ६' ४३.०११"
40	उ२४° ५५' ४५.६५४"	पू८१° ५' २३.१३०"
41	उ२४° ५६' ५७.०३८"	पू८१° ५' १०.२१२"
42	उ२४° ५६' ५९.८५०"	पू८१° ३' १३.२८२"
43	उ२४° ५६' २६.६५४"	पू८१° १' ३७.२०४"
44	उ२४° ५७' ४.२३४"	पू८१° १' ४.१५०"
45	उ२४° ५५' ५९.०९१"	पू८१° १' ४५.९१५"
46	उ२४° ५५' ३८.८०६"	पू८१° ०' ५४.८४६"
47	उ२४° ५६' १२.७८८"	पू८१° ०' १४.९९०"
48	उ२४° ५५' २९.८७३"	पू८०° ५९' १६.२९७"
49	उ२४° ५६' ४.९५२"	पू८०° ५८' ३०.०३५"
50	उ२४° ५५' ५.२८३"	पू८०° ५७' २५.३१७"
51	उ२४° ५६' २७.३०५"	पू८०° ५६' ५४.८६६"
52	उ२४° ५७' ५८.४१७"	पू८०° ५६' ५६.२४१"
53	उ२४° ५६' ३.२२८"	पू८०° ५४' २८.३१४"
54	उ२४° ५६' १.१२९"	पू८०° ५२' ४९.१२८"
55	उ२४° ५५' ४१.३७२"	पू८०° ५१' ४२.१६८"
56	उ२४° ५५' १२.४७५"	पू८०° ५०' २२.३९७"
57	उ२४° ५५' १३.२३०"	पू८०° ४८' ५१.६५०"
58	उ२४° ५७' ७.२६६"	पू८०° ५०' ५८.४८०"
59	उ२४° ५७' २८.८४०"	पू८०° ५२' ५६.३५६"
60	उ२४° ५८' २६.९८२"	पू८०° ५१' ४७.९०४"
61	उ२४° ५९' ३४.९८३"	पू८०° ५३' ६.०८७"
62	उ२४° ५८' ५१.३३१"	पू८०° ५३' ३९.४६६"
63	उ२४° ५८' ११.०४१"	पू८०° ५२' ५७.३१८"

उपाबंध III-ख

ख. रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची

क्र. सं.	प्रभाग	देशांतर	अक्षांश
1	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 14' 59.076" पू	25° 1' 51.466" उ
2	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 15' 10.483" पू	25° 1' 20.661" उ
3	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 15' 0.879" पू	25° 0' 53.524" उ
4	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 14' 44.622" पू	25° 0' 34.310" उ
5	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 14' 24.731" पू	25° 0' 9.185" उ
6	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 14' 10.372" पू	24° 59' 46.119" उ
7	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 13' 49.028" पू	24° 59' 29.195" उ
8	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 13' 40.137" पू	24° 59' 7.701" उ
9	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 13' 52.628" पू	24° 58' 31.449" उ
10	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 13' 41.550" पू	24° 58' 3.583" उ
11	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 13' 23.497" पू	24° 57' 40.300" उ
12	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 13' 24.069" पू	24° 57' 8.515" उ
13	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 13' 24.748" पू	24° 56' 41.189" उ
14	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 13' 42.865" पू	24° 56' 25.055" उ
15	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 13' 51.413" पू	24° 56' 0.021" उ
16	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 13' 40.066" पू	24° 55' 24.959" उ
17	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 13' 12.489" पू	24° 55' 8.485" उ
18	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 12' 46.600" पू	24° 54' 52.703" उ
19	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 12' 13.085" पू	24° 54' 53.524" उ
20	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 11' 41.889" पू	24° 54' 55.568" उ
21	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 11' 11.279" पू	24° 55' 4.971" उ
22	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 10' 57.230" पू	24° 55' 32.330" उ
23	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 11' 12.352" पू	24° 55' 59.524" उ
24	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 10' 59.058" पू	24° 56' 17.243" उ
25	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 10' 31.918" पू	24° 56' 32.506" उ
26	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 10' 30.214" पू	24° 56' 3.873" उ
27	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 10' 24.294" पू	24° 55' 38.585" उ
28	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 10' 10.522" पू	24° 55' 13.179" उ
29	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 10' 11.789" पू	24° 54' 46.110" उ
30	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 9' 53.810" पू	24° 54' 20.798" उ

31	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 9' 13.355" पू	24° 54' 9.572" उ
32	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 9' 0.643" पू	24° 53' 50.372" उ
33	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 9' 2.164" पू	24° 53' 23.355" उ
34	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 8' 48.938" पू	24° 52' 55.666" उ
35	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 8' 17.390" पू	24° 52' 46.230" उ
36	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 7' 47.244" पू	24° 52' 57.052" उ
37	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 7' 23.047" पू	24° 53' 15.434" उ
38	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 7' 6.533" पू	24° 53' 26.283" उ
39	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 6' 44.307" पू	24° 53' 45.554" उ
40	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 6' 19.485" पू	24° 54' 3.581" उ
41	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 5' 20.757" पू	24° 54' 52.773" उ
42	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 5' 0.495" पू	24° 55' 19.881" उ
43	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 4' 42.642" पू	24° 55' 46.353" उ
44	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 4' 42.190" पू	24° 56' 16.828" उ
45	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 4' 14.730" पू	24° 56' 24.368" उ
46	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 3' 26.426" पू	24° 56' 29.277" उ
47	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 2' 22.744" पू	24° 56' 24.864" उ
48	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 2' 21.734" पू	24° 55' 54.805" उ
49	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 2' 1.677" पू	24° 55' 29.928" उ
50	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 1' 40.162" पू	24° 55' 10.087" उ
51	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 1' 6.302" पू	24° 55' 8.018" उ
52	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 0' 33.502" पू	24° 55' 12.420" उ
53	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	81° 0' 14.139" पू	24° 55' 23.663" उ
54	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 59' 39.806" पू	24° 55' 5.430" उ
55	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 59' 7.465" पू	24° 54' 55.561" उ
56	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 58' 39.493" पू	24° 55' 11.785" उ
57	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 58' 23.392" पू	24° 55' 22.106" उ
58	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 58' 7.879" पू	24° 54' 53.584" उ
59	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 57' 37.451" पू	24° 54' 33.465" उ
60	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 57' 1.820" पू	24° 54' 40.831" उ
61	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 56' 46.598" पू	24° 55' 10.828" उ
62	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 56' 31.366" पू	24° 56' 2.853" उ
63	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 56' 19.890" पू	24° 56' 33.635" उ

64	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 56' 32.932" पू	24° 57' 1.274" उ
65	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 56' 20.758" पू	24° 57' 9.871" उ
66	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 55' 53.770" पू	24° 57' 1.647" उ
67	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 55' 18.979" पू	24° 56' 47.614" उ
68	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 54' 54.634" पू	24° 56' 30.539" उ
69	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 55' 4.036" पू	24° 56' 2.607" उ
70	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 54' 48.142" पू	24° 55' 36.207" उ
71	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 54' 18.481" पू	24° 55' 31.141" उ
72	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 53' 53.269" पू	24° 55' 48.147" उ
73	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 53' 31.009" पू	24° 56' 0.727" उ
74	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 53' 14.857" पू	24° 55' 37.947" उ
75	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 52' 44.505" पू	24° 55' 28.891" उ
76	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 52' 21.763" पू	24° 55' 23.180" उ
77	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 51' 50.669" पू	24° 55' 8.976" उ
78	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 51' 20.192" पू	24° 55' 15.016" उ
79	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 50' 57.372" पू	24° 55' 6.169" उ
80	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 50' 40.450" पू	24° 54' 42.020" उ
81	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 50' 14.448" पू	24° 54' 33.606" उ
82	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 49' 42.434" पू	24° 54' 25.917" उ
83	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 49' 10.990" पू	24° 54' 35.848" उ
84	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 48' 39.376" पू	24° 54' 40.854" उ
85	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 48' 17.226" पू	24° 55' 4.771" उ
86	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 48' 18.705" पू	24° 55' 34.477" उ
87	रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य	80° 48' 36.459" पू	24° 56' 1.921" उ

उपाबंध IV

रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के मध्यवर्ती के अंतर्गत 1 किलोमीटर में ग्राम अवस्थान बिंदु			
क्र.सं.	ग्राम	अक्षांश	देशांतर
1	कुसमुही	24° 57' 31.860" उ	80° 51' 47.760" पू
2	कल्याणपुर	24° 58' 48.120" उ	81° 3' 13.020" पू
3	गिदुरहा	24° 59' 10.560" उ	81° 9' 39.340" पू
4	कोदरिया	24° 59' 15.240" उ	81° 7' 26.100" पू
5	छिटघाटी	24° 59' 15.540" उ	81° 1' 49.800" पू
6	बम्बिहा	24° 59' 17.520" उ	80° 51' 37.140" पू

7	रानीपुर कल्याणगढ़	24° 59' 25.980" उ	81° 10' 19.560" पू
8	निही	24° 59' 29.340" उ	81° 6' 55.620" पू
9	वराहपुरवा	24° 59' 35.280" उ	81° 7' 8.460" पू
10	औदार पुरवा	24° 59' 45.120" उ	81° 6' 35.700" पू
11	नया खेडा	24° 59' 58.380" उ	81° 6' 4.380" पू
12	गोबेराहाई	25° 0' 6.900" उ	81° 6' 55.800" पू
13	शेखापुर	25° 0' 9.060" उ	81° 4' 25.680" पू
14	चिरियापुरवा	25° 0' 9.660" उ	81° 6' 4.980" पू
15	रतना पुरा	25° 0' 10.080" उ	81° 5' 46.860" पू
16	कुबरी	25° 0' 12.600" उ	81° 9' 59.280" पू
17	किहुनिया	25° 0' 21.420" उ	80° 57' 35.700" पू
18	कटरा	25° 0' 24.240" उ	81° 8' 56.340" पू
19	भाटापुरवा	25° 0' 32.700" उ	81° 6' 3.120" पू
20	बागदरी	25° 1' 1.080" उ	81° 6' 14.400" पू
21	हेला	25° 1' 25.560" उ	81° 5' 37.260" पू

उपाबंध V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति — की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, 9th November, 2017

S.O. 3573(E).—**WHEREAS**, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1974(E), dated the 3rd June, 2016 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the draft notification were made available to the public on the 3rd June, 2016;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification have been considered by the Central Governments;

AND WHEREAS, the Ranipur Wildlife Sanctuary is situated in Chitrakoot District of Uttar Pradesh and spread over an area of about 230.31 square kilometers;

AND WHEREAS, the flora and fauna represent rich biological significance of this sanctuary; the Ranipur Wild Life Sanctuary is habitat of Rhesus Macaque (*Macaca mulata*); Leopard (*Panthera pardus*); Tiger (*Panthera tigris*); Jungle cat (*Felis chaus*); Small Indian Civet (*Viverricula indica*), Common mongoose (*Herpestes edwardsi*); Small India mongoose (*Herpestes auropunctatus*); Wolf (*Canis lupus*); Jackal (*Canis aureus*); Indian fox (*Vulpes bengalensis*); Wild dog (*Cuon alpinus*); Striped Hyena (*Hyaena hyaena*); Sloth bear (*Melursus ursinus*); Indian flying fox (*Pteropus giganteus*); Fulvous fruit bat (*Rousettus leschenaultia*); Three striped palm squirrel (*Funambulus palmarum*); Indian mole rat (*Bandicota bengalensis*); Indian porcupine (*Hystrix indica*); Chinkara (*Gazella gazelle*) Sambhar (*Cervus unicolor*); Chital (*Axis axis*); Wild boar (*Suss crofa*) etc;

AND WHEREAS, the important flora found in Ranipur Wildlife Sanctuary are *Acacia nilotica*, *Acacia auriculiformis*, *Acacia catechu*, *Acacia leucophloea*, *Adina cordifolia*, *Aegle marmelos*, *Ailanthus exelsa*, *Alangium salvifolium*, *Albizia lebbek*, *Albizia procerra*, *Angogeissus latifolia*, *Antidesma diandrum*, *Azadirachata indica*, *Bauhinia variegata*, *Bauhinia tomentosa*, *Adhatoda vasica*, *Agave Americana*, *Agave sissalania*, *Asperagus raecemosus*, *Balanites*, *Bougainvillea sp.*, *Abrus pricatorius*, *Acacia pennata*, *Asperagus raecemosus*, *Bauhinia vahilii*, *Butea superb*, *Capparis*, *Cissus rependa*, *Cocculus*, *Hirsutus*, *Cryptolepis buchmanii*, *Dendrocalmus Hemiltoc*, *Bamboosa arundinacea*, *Bambusa vulgaris*, *Bamboosa balcooa*, *Dendrocalmus strictus*, *Dendrocalamus longispathis*, *Cassytha filliformis*, *Cassytha filliformis*, *Dendrophothos falcate* etc.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Ranipur Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto 1.00 kilometer around the boundary of the Ranipur Wildlife Sanctuary in the State of Uttar Pradesh as the Ranipur Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:—

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone:—

- (1) The Eco-sensitive Zone shall be an extent of upto 1.0 kilometre all around the boundary of the Ranipur Wildlife Sanctuary and area of the Eco-sensitive Zone is 193.43 square kilometre.
- (2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended in Annexure-I.
- (3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as Annexure II.
- (4) The Global Positioning System co-ordinates of Ranipur Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are appended as Annexure-III-A and Annexure-III-B.
- (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone is given in Annexure-IV.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone:—

- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with

local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent Authority of State.

- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:—
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest;
 - (iii) Urban Development;
 - (iv) Tourism;
 - (v) Municipal;
 - (vi) Revenue;
 - (vii) Agriculture;
 - (viii) Uttar Pradesh State Pollution Control Board;
 - (ix) Irrigation; and
 - (x) Public Works Department,
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (8) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:—

(1) Land use. – Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities :

Provided that the conversion of agricultural and other lands, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government to meet the residential needs of the local residents and for the activities such as:

- (i) eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;
- (ii) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) rainwater harvesting; and
- (v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) **Natural water bodies:**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism/Eco-tourism:**— (a) The activity relating to tourism within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.
 - (b) The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
 - (c) The activities of tourism shall be regulated as under, namely:—
 - (i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within one kilometre from the boundary of the Ranipur Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive zone whichever is nearer: provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan ;
 - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
 - (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.
- (4) **Natural heritage.**— All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation within six months from the date of publication of this notification in the official gazette and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**— Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification in the official gazette and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provision of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.
- (7) **Air pollution.**— Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.** - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

- (9) **Solid wastes.** - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:—
- (a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.** - Bio medical waste management shall be as under:
- (a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.** - The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.** - The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.** - The e- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.** - Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel for example CNG etc.
- (16) **Industrial units.** - (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification.
- (17) **Protection of hill slopes.** - The protection of hill slopes shall be as under:—
- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted ;
- (b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.—

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial mining.	(a) New mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 4 th August, 2017 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing pollution (water, air, soil, noise, etc.).	(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. (b) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification.
5.	Establishment of major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Use of polythene bags by shopkeeper.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
Regulated Activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to

		<p>undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub - paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws:</p> <p>(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;</p> <p>(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;</p> <p>(iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016;</p> <p>(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and</p> <p>(v) Promoted activities listed in this Notification.</p> <p>(b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(c) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
12.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, and the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per applicable laws.
13.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the Eco sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
14.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
15.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
16.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made there under.</p> <p>(c) In case of reserve forests and protected forests, the working plan prescriptions shall be followed.</p>
17.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws and as per the Zonal Master Plan.
18.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable law and underground cabling may be promoted.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	<p>(a) Regulated under applicable laws.</p> <p>(b) In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than one meter. And any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.</p>
21.	Collection of Forest Produce or Non-Timber	Regulated under applicable laws.

	Forest Produce (NTFP).	
22.	Commercial use of natural water resource including ground water harvesting.	Regulated under applicable laws.
23.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.
24.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
25.	Commercial sign board and hoardings.	Regulated under applicable laws.
26.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted by or under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hills with slopes more than 1 to 10 and also upto 100 metres from the banks of any river, and natural nallah.
27.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the Competent Authority.
28.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
29.	Open well, bore well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
30.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
31.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc.	Regulated under applicable laws .
32.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
Promoted Activities		
33.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.
34.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
35.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
36.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
37.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
38.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light, shall be actively promoted.
39.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
40.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted
41.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
42.	Skill development.	Shall be actively promoted.
43.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
44.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee: -

The Central Government constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:—

- | | | |
|-------|---|-----------|
| (i) | District Magistrate, Chitrakoot | Chairman; |
| (ii) | An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Uttar Pradesh for a period of one year. | Member; |
| (iii) | One representative of Non-Government Organization (working in the field of environment including heritage conserve ation) to | Member; |

be nominated by the Government of Uttar Pradesh for a period of one year.

(iv)	Regional Officer, Uttar Pradesh State Pollution Control Board	Member;
(v)	Executive Engineer of Public Works Department, Chitrakoot	Member;
(vi)	Executive Engineer of Irrigation Department of Chitrakoot	Member;
(vii)	District Agriculture Officer, Chitrakoot	Member;
(viii)	General Manager, District Industry Centre, Chitrakoot	Member;
(ix)	Divisional Director, Kaimoor Wildlife Sanctuary, Mirzapur	Member Secretary

6. Terms of reference. –

- (1) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures: The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders of Supreme Court etc.— The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/26/2016-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE- I


BOUNDARY DESCRIPTION OF RANIPUR WILDLIFE SANCTUARY AND ECO SENSITIVE ZONE

The said Eco-sensitive Zone is the area up to one kilometer from the boundary of Ranipur Wild Life Sanctuary situated in the Chitrakoot district of Uttar Pradesh between 24^o53'12" N to 25^o2'30" N latitude and 80^o48' E to 81^o14'15" E longitudes.

- **North** – The northern boundary of the sanctuary is formed by Reserve Forest area (RF) and agricultural land.
- **South** – State boundary of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh State.
- **East** – State boundary of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh State.
- **West** – The western boundary of the Sanctuary is formed by Reserve Forest (RF) land and agricultural field.

ANNEXURE- II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RANIPUR WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES AND LAND USE PATTERN



ANNEXURE III-A

A. LIST OF GEO-COORDINATES OF BOUNDARY OF RANIPUR WILDLIFE SANCTUARY

Sl No.	Latitude	Longitude
1	N24° 58' 49.794"	E80° 55' 17.278"
2	N25° 0' 36.721"	E80° 55' 31.382"
3	N24° 59' 53.017"	E80° 57' 2.731"
4	N25° 0' 6.625"	E80° 58' 55.449"
5	N24° 59' 36.899"	E81° 0' 36.041"
6	N24° 59' 56.408"	E81° 1' 40.900"
7	N24° 58' 58.597"	E81° 2' 37.154"
8	N24° 58' 58.216"	E81° 4' 44.892"
9	N25° 0' 26.458"	E81° 4' 49.508"
10	N25° 0' 30.948"	E81° 6' 18.758"
11	N24° 59' 48.247"	E81° 5' 52.991"
12	N24° 59' 11.441"	E81° 6' 38.383"
13	N24° 59' 27.481"	E81° 7' 33.460"
14	N24° 59' 53.948"	E81° 7' 5.769"
15	N25° 0' 49.917"	E81° 7' 8.981"
16	N25° 1' 52.008"	E81° 7' 28.774"
17	N25° 2' 29.931"	E81° 7' 38.139"
18	N25° 1' 45.527"	E81° 8' 28.234"
19	N25° 0' 47.642"	E81° 8' 58.987"
20	N24° 59' 57.863"	E81° 9' 54.712"
21	N24° 58' 42.229"	E81° 9' 19.396"
22	N24° 58' 18.910"	E81° 10' 42.695"
23	N24° 59' 39.165"	E81° 10' 59.178"
24	N25° 0' 50.216"	E81° 9' 59.456"
25	N25° 0' 24.428"	E81° 11' 3.870"
26	N25° 0' 40.547"	E81° 12' 9.213"
27	N25° 0' 20.678"	E81° 13' 14.778"
28	N25° 1' 27.062"	E81° 14' 35.500"
29	N24° 59' 55.505"	E81° 12' 49.163"
30	N24° 58' 25.591"	E81° 13' 15.298"
31	N24° 57' 24.090"	E81° 12' 52.583"
32	N24° 56' 5.306"	E81° 13' 14.540"
33	N24° 55' 29.786"	E81° 11' 35.786"
34	N24° 56' 37.051"	E81° 11' 39.636"
35	N24° 57' 22.478"	E81° 10' 23.212"
36	N24° 55' 38.980"	E81° 9' 47.941"
37	N24° 54' 48.974"	E81° 9' 36.023"
38	N24° 53' 18.680"	E81° 8' 23.762"
39	N24° 54' 28.008"	E81° 6' 43.011"
40	N24° 55' 45.654"	E81° 5' 23.130"
41	N24° 56' 57.038"	E81° 5' 10.212"
42	N24° 56' 59.850"	E81° 3' 13.282"

43	N24° 56' 26.654"	E81° 1' 37.204"
44	N24° 57' 4.234"	E81° 1' 4.150"
45	N24° 55' 59.091"	E81° 1' 45.915"
46	N24° 55' 38.806"	E81° 0' 54.846"
47	N24° 56' 12.788"	E81° 0' 14.990"
48	N24° 55' 29.873"	E80° 59' 16.297"
49	N24° 56' 4.952"	E80° 58' 30.035"
50	N24° 55' 5.283"	E80° 57' 25.317"
51	N24° 56' 27.305"	E80° 56' 54.866"
52	N24° 57' 58.417"	E80° 56' 56.241"
53	N24° 56' 3.228"	E80° 54' 28.314"
54	N24° 56' 1.129"	E80° 52' 49.128"
55	N24° 55' 41.372"	E80° 51' 42.168"
56	N24° 55' 12.475"	E80° 50' 22.397"
57	N24° 55' 13.230"	E80° 48' 51.650"
58	N24° 57' 7.266"	E80° 50' 58.480"
59	N24° 57' 28.840"	E80° 52' 56.356"
60	N24° 58' 26.982"	E80° 51' 47.904"
61	N24° 59' 34.983"	E80° 53' 6.087"
62	N24° 58' 51.331"	E80° 53' 39.466"
63	N24° 58' 11.041"	E80° 52' 57.318"

ANNEXURE III-B**B. LISTS OF GEO-COORDINATES OF BOUNDARY OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RANIPUR**

Sl No.	Division	Longitude	Latitude
1	Ranipur WLS	81° 14' 59.076" E	25° 1' 51.466" N
2	Ranipur WLS	81° 15' 10.483" E	25° 1' 20.661" N
3	Ranipur WLS	81° 15' 0.879" E	25° 0' 53.524" N
4	Ranipur WLS	81° 14' 44.622" E	25° 0' 34.310" N
5	Ranipur WLS	81° 14' 24.731" E	25° 0' 9.185" N
6	Ranipur WLS	81° 14' 10.372" E	24° 59' 46.119" N
7	Ranipur WLS	81° 13' 49.028" E	24° 59' 29.195" N
8	Ranipur WLS	81° 13' 40.137" E	24° 59' 7.701" N
9	Ranipur WLS	81° 13' 52.628" E	24° 58' 31.449" N
10	Ranipur WLS	81° 13' 41.550" E	24° 58' 3.583" N
11	Ranipur WLS	81° 13' 23.497" E	24° 57' 40.300" N
12	Ranipur WLS	81° 13' 24.069" E	24° 57' 8.515" N
13	Ranipur WLS	81° 13' 24.748" E	24° 56' 41.189" N
14	Ranipur WLS	81° 13' 42.865" E	24° 56' 25.055" N
15	Ranipur WLS	81° 13' 51.413" E	24° 56' 0.021" N
16	Ranipur WLS	81° 13' 40.066" E	24° 55' 24.959" N
17	Ranipur WLS	81° 13' 12.489" E	24° 55' 8.485" N
18	Ranipur WLS	81° 12' 46.600" E	24° 54' 52.703" N
19	Ranipur WLS	81° 12' 13.085" E	24° 54' 53.524" N
20	Ranipur WLS	81° 11' 41.889" E	24° 54' 55.568" N

21	Ranipur WLS	81° 11' 11.279" E	24° 55' 4.971" N
22	Ranipur WLS	81° 10' 57.230" E	24° 55' 32.330" N
23	Ranipur WLS	81° 11' 12.352" E	24° 55' 59.524" N
24	Ranipur WLS	81° 10' 59.058" E	24° 56' 17.243" N
25	Ranipur WLS	81° 10' 31.918" E	24° 56' 32.506" N
26	Ranipur WLS	81° 10' 30.214" E	24° 56' 3.873" N
27	Ranipur WLS	81° 10' 24.294" E	24° 55' 38.585" N
28	Ranipur WLS	81° 10' 10.522" E	24° 55' 13.179" N
29	Ranipur WLS	81° 10' 11.789" E	24° 54' 46.110" N
30	Ranipur WLS	81° 9' 53.810" E	24° 54' 20.798" N
31	Ranipur WLS	81° 9' 13.355" E	24° 54' 9.572" N
32	Ranipur WLS	81° 9' 0.643" E	24° 53' 50.372" N
33	Ranipur WLS	81° 9' 2.164" E	24° 53' 23.355" N
34	Ranipur WLS	81° 8' 48.938" E	24° 52' 55.666" N
35	Ranipur WLS	81° 8' 17.390" E	24° 52' 46.230" N
36	Ranipur WLS	81° 7' 47.244" E	24° 52' 57.052" N
37	Ranipur WLS	81° 7' 23.047" E	24° 53' 15.434" N
38	Ranipur WLS	81° 7' 6.533" E	24° 53' 26.283" N
39	Ranipur WLS	81° 6' 44.307" E	24° 53' 45.554" N
40	Ranipur WLS	81° 6' 19.485" E	24° 54' 3.581" N
41	Ranipur WLS	81° 5' 20.757" E	24° 54' 52.773" N
42	Ranipur WLS	81° 5' 0.495" E	24° 55' 19.881" N
43	Ranipur WLS	81° 4' 42.642" E	24° 55' 46.353" N
44	Ranipur WLS	81° 4' 42.190" E	24° 56' 16.828" N
45	Ranipur WLS	81° 4' 14.730" E	24° 56' 24.368" N
46	Ranipur WLS	81° 3' 26.426" E	24° 56' 29.277" N
47	Ranipur WLS	81° 2' 22.744" E	24° 56' 24.864" N
48	Ranipur WLS	81° 2' 21.734" E	24° 55' 54.805" N
49	Ranipur WLS	81° 2' 1.677" E	24° 55' 29.928" N
50	Ranipur WLS	81° 1' 40.162" E	24° 55' 10.087" N
51	Ranipur WLS	81° 1' 6.302" E	24° 55' 8.018" N
52	Ranipur WLS	81° 0' 33.502" E	24° 55' 12.420" N
53	Ranipur WLS	81° 0' 14.139" E	24° 55' 23.663" N
54	Ranipur WLS	80° 59' 39.806" E	24° 55' 5.430" N
55	Ranipur WLS	80° 59' 7.465" E	24° 54' 55.561" N
56	Ranipur WLS	80° 58' 39.493" E	24° 55' 11.785" N
57	Ranipur WLS	80° 58' 23.392" E	24° 55' 22.106" N
58	Ranipur WLS	80° 58' 7.879" E	24° 54' 53.584" N
59	Ranipur WLS	80° 57' 37.451" E	24° 54' 33.465" N
60	Ranipur WLS	80° 57' 1.820" E	24° 54' 40.831" N
61	Ranipur WLS	80° 56' 46.598" E	24° 55' 10.828" N
62	Ranipur WLS	80° 56' 31.366" E	24° 56' 2.853" N
63	Ranipur WLS	80° 56' 19.890" E	24° 56' 33.635" N
64	Ranipur WLS	80° 56' 32.932" E	24° 57' 1.274" N
65	Ranipur WLS	80° 56' 20.758" E	24° 57' 9.871" N
66	Ranipur WLS	80° 55' 53.770" E	24° 57' 1.647" N

67	Ranipur WLS	80° 55' 18.979" E	24° 56' 47.614" N
68	Ranipur WLS	80° 54' 54.634" E	24° 56' 30.539" N
69	Ranipur WLS	80° 55' 4.036" E	24° 56' 2.607" N
70	Ranipur WLS	80° 54' 48.142" E	24° 55' 36.207" N
71	Ranipur WLS	80° 54' 18.481" E	24° 55' 31.141" N
72	Ranipur WLS	80° 53' 53.269" E	24° 55' 48.147" N
73	Ranipur WLS	80° 53' 31.009" E	24° 56' 0.727" N
74	Ranipur WLS	80° 53' 14.857" E	24° 55' 37.947" N
75	Ranipur WLS	80° 52' 44.505" E	24° 55' 28.891" N
76	Ranipur WLS	80° 52' 21.763" E	24° 55' 23.180" N
77	Ranipur WLS	80° 51' 50.669" E	24° 55' 8.976" N
78	Ranipur WLS	80° 51' 20.192" E	24° 55' 15.016" N
79	Ranipur WLS	80° 50' 57.372" E	24° 55' 6.169" N
80	Ranipur WLS	80° 50' 40.450" E	24° 54' 42.020" N
81	Ranipur WLS	80° 50' 14.448" E	24° 54' 33.606" N
82	Ranipur WLS	80° 49' 42.434" E	24° 54' 25.917" N
83	Ranipur WLS	80° 49' 10.990" E	24° 54' 35.848" N
84	Ranipur WLS	80° 48' 39.376" E	24° 54' 40.854" N
85	Ranipur WLS	80° 48' 17.226" E	24° 55' 4.771" N
86	Ranipur WLS	80° 48' 18.705" E	24° 55' 34.477" N
87	Ranipur WLS	80° 48' 36.459" E	24° 56' 1.921" N

ANNEXURE-IV**LIST OF VILLAGES FALLING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF RANIPUR WILDLIFE SANCTUARY**

VILLAGE LOCATION POINT UNDER 1 KILOMETER BUFFER OF RANIPUR WILDLIFE SANCTUARY			
Sl. No.	Village	Latitude	Longitude
1	Kusmuhi	24° 57' 31.860" N	80° 51' 47.760" E
2	Kalyanpur	24° 58' 48.120" N	81° 3' 13.020" E
3	Gidurha	24° 59' 10.560" N	81° 9' 39.340" E
4	Kodria	24° 59' 15.240" N	81° 7' 26.100" E
5	Chitghati	24° 59' 15.540" N	81° 1' 49.800" E
6	Bambiha	24° 59' 17.520" N	80° 51' 37.140" E
7	Ranipur Kalyangarh	24° 59' 25.980" N	81° 10' 19.560" E
8	Nihi	24° 59' 29.340" N	81° 6' 55.620" E
9	Varahpurva	24° 59' 35.280" N	81° 7' 8.460" E
10	Audar Purva	24° 59' 45.120" N	81° 6' 35.700" E
11	Naya Keda	24° 59' 58.380" N	81° 6' 4.380" E
12	Goberahai	25° 0' 6.900" N	81° 6' 55.800" E
13	Shekhapur	25° 0' 9.060" N	81° 4' 25.680" E
14	Chiriyapurva	25° 0' 9.660" N	81° 6' 4.980" E
15	Ratna Pura	25° 0' 10.080" N	81° 5' 46.860" E
16	Kubari	25° 0' 12.600" N	81° 9' 59.280" E
17	Kihunia	25° 0' 21.420" N	80° 57' 35.700" E
18	Katra	25° 0' 24.240" N	81° 8' 56.340" E
19	Bhatapurva	25° 0' 32.700" N	81° 6' 3.120" E

20	Bagdari	25° 1' 1.080" N	81° 6' 14.400" E
21	Hela	25° 1' 25.560" N	81° 5' 37.260" E

ANNEXURE- V**Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.—**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. Details may be attached as separate annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. Details may be attached as separate annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance: